02·01·26 पत्रावली पेश। अभिभाषक वादी उपस्थित । यह वाद वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अंतर्गत कृषि जोत के विभाजन हेतु दायर किया गया है। वाद प्राथमिक डिक्री के चरण पर विचाराधीन है।प्रस्तुत वाद में पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रत्यक्ष हुआ कि वाद दायर किए जाने के पश्चात विवादित जोत/खातों की जमाबंदी, खातेदार-स्थिति में पर्याप्त एवं मूलभूत परिवर्तन हो चुके हैं;। कुछ मूल पक्षकारों का विभिन्न कारणों से नामान्तरण हो गया है तथा नई जमाबंदी में नए खातेदार सम्मिलित हो गए हैं, जिससे वर्तमान स्थिति, वाद दायर किए जाने के समय की स्थिति से भिन्न हो गई है। साथ ही, विवादित जोत में सह-कास्तकार एवं खातेदार के रूप में दर्ज रामविलास पुत्र घीसा, जाति भील, हिस्सा 1/6, जो कि वादगत जोत में अविभाज्य हिस्सेदार एवं आवश्यक पक्षकार (necessary party) है, को वाद दायर करते समय पक्षकार के रूप में शामिल ही नहीं किया गया है। आवश्यक पक्षकार को वाद में पक्षकार न बनाए जाने की स्थिति में उसके अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली कोई भी विभाजन डिक्री उसके विरुद्ध बाध्यकारी नहीं मानी जा सकती तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं उचित न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध होगा। ऐसी परिवर्तित स्थिति तथा आवश्यक पक्षकार के अभाव में यदि केवल वाद दायर किए जाने के समय के अभिलेखों व पक्षकार-स्थिति के आधार पर अब कोई प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है, तो इससे वर्तमान खातेदारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा रामविलास पुत्र घीसा जैसे आवश्यक सह-कास्तकार के अधिकारों का निर्धारण उसके सुने बिना हो जाएगा। अतः न्यायालय के मत में वर्तमान वाद अपनी मूल रूप-रचना में आगे बढ़ाए जाने योग्य नहीं रह गया है तथा वाद से अपेक्षित प्रभावी राहत प्रदान किया जाना अब व्यावहारिक एवं विधिक रूप से संभव नहीं है, फलतः वाद अव्यवहार्य (infructuous) हो चुका है।

-: आदेश :-

चूंकि वाद दायर किए जाने के समय की पक्षकार-स्थिति एवं जोत-स्थिति में मूलभूत परिवर्तन हो चुका है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वर्णित स्थिति व वाद दायर किए जाने के समय की स्थिति के मध्य पर्याप्त अंतर उत्पन्न हो गया है, और साथ ही विवादित जोत में 1/6 हिस्से के सह-कास्तकार रामविलास पुत्र घीसा, जाति भील, जो कि आवश्यक पक्षकार है, को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसीलिए वाद को अव्यवहार्य (infructuous) पाए जाने के कारण, यहीं पर, प्राथमिक डिक्री पारित किए बिना ही, खारिज किया जाता है।

वादीगण सहित सभी संबंधित खातेदारों को यह स्वतंत्रता (liberty) प्रदान की जाती है कि वे वर्तमान प्रचलित जमाबंदी, विद्यमान खातेदार-स्थिति तथा समस्त सह-कास्तकारों भी सम्मिलित हों, को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए, यदि वे चाहें, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अंतर्गत जोत-विभाजन का नया वाद पृथक रूप से दायर कर सकते हैं, जहाँ उनकी वर्तमान स्थिति एवं अधिकारों का विधि अनुसार विचार किया जाएगा।पत्रावली फैसल-शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)